



दिल्ली विकास प्राधिकरण
(वित्त एवं व्यय)


परिपत्र संख्या.../2016

विषय:- उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2015 को पूर्वाह्न 11:00 बजे उपाध्यक्ष कार्यालय में आयोजित हुई दिल्ली विकास प्राधिकरण की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की बैठक दिनांक 28.12.2015 को उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित मदों पर आवश्यक कार्यवाही करवाने हेतु दिशा-निर्देश दिए गए हैं:-

1. संस्थापना विभागों द्वारा सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां अनिवार्यतः हिंदी में ही की जाए।
2. चैकों को हिंदी में तैयार करें एवं आर.बी.आई के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
3. रबर की मोहरें द्विभाषी प्रयोग में लाई जाएं।
4. भुगतान आदेश हिन्दी में लिखें जायें।

उपरोक्त मदों पर आवश्यक कार्यवाही करें ताकि राजभाषा हिंदी को संविधान के अनुसार यथोचित सम्मान मिल सके।



(सन्तोष कुमार)
मुख्य लेखाधिकारी

संख्या. एफ.ई.5(2)2016/डी.डी.ए/ 81

दिनांक: 15-2-16

प्रतिलिपि:-

1. वित्त सदस्य के निजी सचिव को वित्त सदस्य के सूचनार्थ।
2. आयुक्त(कार्मिक) के निजी सचिव को आयुक्त(कार्मिक) के सूचनार्थ।
3. मुख्य लेखाधिकारी के निजी सचिव को मुख्य लेखाधिकारी के सूचनार्थ।
4. वित्त सलाहकार(आवास)।
5. निदेशक(वित्त/(ऑडिट)/(चिकित्सा एवं पेंशन)।
6. सभी उप-मुख्यलेखाधिकारियों को इस आशय के साथ कि अपने अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ज्ञान में इस परिपत्र को लाये तथा उन्हें हिन्दी में उपरोक्तनुसार कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें।
7. हिंदी अधिकारी को सूचनार्थ।
8. लेखा अधिकारी (खेल)।


(कल्पना मोंगिया)

लेखाधिकारी(वित्त एवं व्यय)